न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 43/2012

उनवान

सीताराम मीणा पुत्र श्री सांवतराम मीणा, जाति मीणा, उम्र 74 वर्ष करीब, निवासी– मोरीजा रोड़, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

––वादीगण

बनाम

1. विनय कुमार थावरिया पुत्र दीनदयाल थावरिया, जाति थावरिया, निवासी– पटवारियों की गली, चौपड़, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. रामपाल मीणा पुत्र गिरधारी लाल मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम राजावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. रामस्वरूप कुमावत पुत्र रामदयाल कुमावत, जाति कुमावत, निवासी आकेड़ा डूँगर, धोलियां ढ़ाणी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. श्रीमति ओमी देवी पत्नी मदन लाल
5. सुरेश पुत्र मदन लाल
6. मुकेश पुत्र मदन लाल
   जाति समस्त मीणा, निवासी मीणों का मौहल्ला, बावडी गेट चौमूं तहसील चौमूं
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा</u>

निर्णय दिनांकः– 20.11.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वाके राजस्व ग्राम चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित हाल आराजी खाता संख्या 796 जिसके हाल खसरा नम्बर 3800/7730 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 3803 रकबा 0.22है0 , खसरा नम्बर 3804/7733 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 3810/7738 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 3811 रकबा 0.08 है0., खसरा नम्बर 3813 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 3814/2 रकबा 0.01 है0, कुल किता 7 का कुल रकबा 0.46 है0 भूमि स्थित है। जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार मालिक व स्वामी हैं, जिसको वादी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लगान राज्य सरकार को अदा करता चला आ रहा हैं। उक्त भूमि को वादी मौके पर बतौर मालिक व स्वामी हर प्रकार से उपयोग उपभोग लेते हुये काश्त कर प्रत्येक प्रकार से लाभ प्राप्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमियां ही वाद हाजा मे विवादग्रस्त भूमियां हैं, जिन्हे वाद पत्र की अग्रिम मदों में भूमि विवादग्रस्त कहां गया है।

विवादित भूमियां वादीकी तन्हा खातेदारी व तन्हा कब्जे काश्त की भूमिया है, जिसमें वादी काश्त कर फसल बौ कर व काट व विवादित भूमि की प्राकृतिक पैदावार प्राप्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण सदैव से करता चला आ रहा हैं। जिसमें वादी ने काफी संख्या में खेजडी, बबूल, आदी के काफी पेड मौके पर विद्यमान हैं तथा वादी ने विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर अपनी खातेदारी भूमि की सीमायें पूर्व से कायम कर रखी हैं, तथा पूर्व से निशानात भी कर रखे हैं।

प्रतिवादीगण एक संगठित भू–माफियां गिरोह के सदस्य हैं, जिन्होने विवादित भूमि के दक्षिणी दिशा में स्थित अन्य व्यक्तियों की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3818, 3812, 3816/2 व अन्य भूमि में कतई अवैध तथा विधि विरूद्ध रूप से बिना किसी सक्षम अधिकारी से भूमि रूपान्तरण करवाये तथा बिना किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघन कर कृषि भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 के साथ अवैध व नुमाईशी मिलीभगत

Scanned by CamScanner

कर अनाधिकृत रूप से आवासिय कॉलोनी विकसित कर रहे हैं, जिसकी आढ में विवादित भूमि के सींव लगते होने का नाजायज फायदा उठा कर जबरन लठ्ठ के बल पर कतई विधि विरूद्ध रूप से अनुसूचित जन जाति के सदस्य द्वारा धारित विवादित भूमि की दक्षिणी सीमा को नष्ट–भष्ट कर अतिक्रमण कर अवैध कॉलोनी में मिला लेना चाहते है तथा बिना गली भूमि छोडे विवादित भूमि में नाले परना ले छज्जे खिडकियां आदी निकालना चाहते है

बिनाय दावा दिनांक 09.03.2012 को प्रतिवादीगण के द्वारा मौके की दक्षिणी सीमा को नष्ट कर विवादित भूमि से जबरन वादी को बेदखल कर नष्ट–भ्रष्ट कर देने की ऐलानियां धमकी देने पर उत्पन्न हुआ हैं जो मौके पर लगातार जारी हैं, जिस पर वदी के लिये यह वाद पत्र श्रीमान्‌जी के समक्ष पेश करना लाजमी आया हैं।

वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषैधाज्ञा का डिक्रि फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषैधाज्ञा के इस कदर पाबन्द करवावे कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि वर्णित मद नम्बर 2 वाद पत्र में वादी के कब्जे काश्त में, उपयोग उपभोग में उपजों को प्राप्त करने में , किसी भी प्रकार की कोई दखलन्दाजी, बाधा, उत्पन्न नहीं करें, ना ही विवादित भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करें, ना ही विवादित भूमि में अनाधिकृत निर्माण कार्य आदि करें, ना ही विवादित भूमि से वादी को जबरिया बेदखल करें, ना ही विवादित भूमि में खड़े पेडो को काट कर नष्ट–भ्रष्ट करें, ना ही भूमि विवादित की सींव डोल को तोड फोड कर भूमि को अपनी भूमि में मिलाये ना ही प्रतिवादीगण बिना गली भूमि छोडे अपनी भूमि में विवादित भूमि की ओर कोई नाले परनाले व खिडकी आदी निकाले तथा प्रतिवादी संख्या 7 भूमि विवादग्रस्त बाबत किसी प्रकार का कोई राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन परिवर्धन नहीं होने देना सुनिश्चित करें। उपरोक्त समस्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन आदि क जरिये करवायें।

वादीगण के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि हाल आराजी खाता संख्या 796 जिसके हाल खसरा नम्बर 3800/7730 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 3803 रकबा 0.22है0 , खसरा नम्बर 3804/7733 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 3810/7738 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 3811 रकबा 0.08 है0., खसरा नम्बर 3813 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 3814/2 रकबा 0.01 है0, कुल किता 7 का कुल रकबा 0.46 है0 ग्राम राजस्व ग्राम चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– हिम्मत सिंह

मु.न. 43/2018

उनवान

सीताराम मीणा पुत्र श्री सांवतराम मीणा, जाति मीणा, उम्र 74 वर्ष करीब, निवासी– मोरीजा रोड़, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

––वादीगण

बनाम

1. विनय कुमार थावरिया पुत्र दीनदयाल थावरिया, जाति थावरिया, निवासी– पटवारियों की गली, चौपड़, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. रामपाल मीणा पुत्र गिरधारी लाल मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम राजावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. रामस्वरूप कुमावत पुत्र रामदयाल कुमावत, जाति कुमावत, निवासी आकेड़ा डूँगर, धोलियां ढ़ाणी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. श्रीमति ओमी देवी पत्नी मदन लाल
5. सुरेश पुत्र मदन लाल
6. मुकेश पुत्र मदन लाल
   जाति समस्त मीणा, निवासी मीणों का मौहल्ला, बावडी गेट चौमूं तहसील चौमूं
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू हिम्मत सिंह आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि हाल आराजी खाता संख्या 796 जिसके हाल खसरा नम्बर 3800/7730 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 3803 रकबा 0.22है0 , खसरा नम्बर 3804/7733 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 3810/7738 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 3811 रकबा 0.08 है0., खसरा नम्बर 3813 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 3814/2 रकबा 0.01 है0, कुल किता 7 का कुल रकबा 0.46 है0 ग्राम राजस्व ग्राम चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर खुले न्यायालय मे आज तारीख 29.11.2019 को जारी किया

मोहर

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.01.09 17:34:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: